प्रेषक

जिला न्यायाधीश
अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 623/2021/प्रशा./अमरोहा, दिनांकितः 14.04.2021

विषयः दिनांक 14.04.2021 को श्री विभव चन्द्र, सिविल जज (जू0डि0) वाह्य न्यायालय, हसनपुर, जिला अमरोहा की कोविड–19 की जांच धनात्मक आने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 14.04.2021 को श्री विभव चन्द्र, सिविल जज (जू0डि0) वाह्य न्यायालय, हसनपुर, जिला अमरोहा की कोविड–19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या– मुचिअ/कोविड–19/2021–22/कैम्प दिनांकित 14.04.2021 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जाये। उक्त कारणों से वाह्य न्यायालय हसनपुर, जिला अमरोहा को दिनांक 15.04.2021 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

14-04-2021
जिला न्यायाधीश,
अमरोहा।

संलग्नक– यथोक्त।

तत्काल/आज ही

6.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद अमरोहा।

पत्रांक मुचिअ/कोविड–19/2021–22/कैम्प

दिनांक 14/04/2021

विषयः– माननीय वाह्य न्यायालय हसनपुर में एक अधिकारी श्री वैभव पुत्र श्री प्रेमचन्द्र कोविड–19 के एन्टीजेन टैस्ट में पॉजेटिव पाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 902/पांच–5–2020 दिनांक 31–05–2020 के प्रस्तर–ग के विन्दु संख्या –3 में वर्णित प्राविधानो के अनुसार यदि कार्य स्थल पर किसी कार्मिक में कोविड–19 के लक्षण पाये जाते है एव जॉच रिपोर्ट पाजेटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र/भवन को पूरी तरह से 24 घन्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को दो बार विसंकमित किया जायेगा। इसके साथ ही जो –जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हो उनके आर0टी0पी0सी0आर टैस्ट कराकर धनात्मक पाये जाने पर होम आईसोलेशन अथवा कोविड–चिकित्सालय में भर्ती किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्तनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करेगे।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

पृ0स0 मुचिअ/कोविड–19/2021–22/कैम्प

तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–उप जिला अधिकारी हसनपुर।

2–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हसनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वाह्य न्यायालय हसनपुर को 02बार सैनेटाईज कराकर विसंकमित कराने का कष्ट करे।

3–चिकित्सा अधीक्षक सी0एच0सी0 हसनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र सम्बन्धित अधिकारियो को उपलब्ध कराकर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।

DISTRICT JUDGE
AMROHA

Scanned by CamScanner